प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-

(पत्रांक-312/2024 दिनांक 06.11.2024)

दिनांक-06.11.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

नाबालिग लड़की के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेकने वाले 02 आरोपियों को 24 घण्टे के अंदर किया गया गिरफ्तार-

दिनांक 05.11.2024 को थाना हनुमानगंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम केशवपट्टी मखनहां निवासी वादी मानसिंह कुशवाहा पुत्र भरथ कुशवाहा के द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 05.11.2024 को उनकी पुत्री के ऊपर 02 अज्ञात युवको द्वारा पीछा करके ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया गया। सूचना पर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 190/2024 धारा 78(1)/124(1) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण/अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के नेतृत्व में टीमें गठित कर निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में गठित टीमों द्वारा आज दिनांक 06.11.2024 को नेबुआरायगंज के पास से 02 अभियुक्तों 01-मुकेश राजभर पुत्र शम्भू राजभर सा0 केरवनिया थाना नेबुआ नौरंगिया कुशीनगर व 02-सूरज राजभर पुत्र नन्द लाल राजभर सा0 केरवनिया थाना नेबुआ नौरंगिया कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पुछताछ में अभियुक्त मुकेश द्वारा बताया गया कि लड़की को एक तरफा पसंद करता था तथा उससे बातचीत करना चाहता था। जिसमें सफल न हो पाने पर घटना के दिन घास में डालने वाले केमिकल में पानी मिलाकर कोल्ड ड्रिंक के बोतल में भरकर अपने साथी सूरज के साथ मिलकर मोटरसाईकिल से लड़की के घर जाकर डराने के उद्देश्य से उसके ऊपर फेंक दिया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 190/2024 धारा 78(1)/124(1) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-मुकेश राजभर पुत्र शम्भू राजभर सा0 केरवनिया थाना नेबुआ नौरगिया कुशीनगर
2-सूरज राजभर पुत्र नन्द लाल राजभर सा0 केरवनिया थाना नेबुआ नौरगिया कुशीनगर

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त प्लास्टिक की बोतल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष श्री अजय कुमार पटेल थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर

2-उ0नि0 रामसिंह थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
3-हे0का0 अरविन्द गिरी थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
4-का0 विकास यादव थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
5-का0 धीरज कुमार थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
6-का0 विक्रान्त शुक्ला थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर

हत्या की घटना में 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

दिनांक 04.11.2024 को पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना कसया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कनखोरिया में सतीश यादव पुत्र श्यामा प्रसाद यादव की हत्या कर दी गयी है। सूचना पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए थाना कसया पर मु0अ0सं0 0705/2024 धारा 61(2), 74, 103(1), 115(2), 351(3) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण/अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी कसया श्री कुंदन कुमार सिंह के नेतृत्व में टीमें गठित कर निर्देश दिये गये थे। गठित टीमों द्वारा आज दिनांक 06.11.2024 को थाना कसया पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1-सत्यम तिवारी पुत्र आनन्द प्रकाश तिवारी निवासी कनखोरिया थाना कसया जनपद कुशीनगर 2-आनन्द प्रकाश तिवारी पुत्र विन्ध्यवासीनी तिवारी निवासी कनखोरिया थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि घटना के दिन मृतक सतीश यादव से हम लोगों का वाद विवाद व कहासुनी हुई थी उसके उपरान्त पुनः हम लोगों का विवाद सतीश से हो गया और चाकू से यह घटना कारित कर दी गयी ।

पंजीकृत/अनावरित अभियोग-
मु0अ0सं0 0705/2024 धारा 61(2), 74, 103(1), 115(2), 351(3) बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्त-
1-सत्यम तिवारी पुत्र आनन्द प्रकाश तिवारी निवासी कनखोरिया थाना कसया जनपद कुशीनगर
2-आनन्द प्रकाश तिवारी पुत्र विन्ध्यवासीनी तिवारी निवासी कनखोरिया थाना कसया जनपद कुशीनगर

बरामदगी-
1-एक अदद आलाकत्ल चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1-प्र0नि0 गिरिजेश उपाध्याय थाना कसया जनपद कुशीनगर।
2-का0 उमेश कुमार सिंह थाना कसया जनपद कुशीनगर

3-का0 अमित यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
4-म0का0 शैलजा तिवारी थाना कसया जनपद कुशीनगर

झपट्टा मारकर मोबाइल छिनने के आरोप में 02 अभियुक्तों को एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व छिनैती की मोबाइल फोन के साथ किया गया गिरफ्तार-

दिनांक 05.11.2024 को थाना कप्तानगंज क्षेत्रान्तर्गत रितिका तिवारी पुत्री भूपेन्द्र तिवारी निवासी मथौली बाजार द्वारा सूचना दी गयी थी कि दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मेरे हाथ से मोबाइल फोन को झपट्टा मारकर छिन लिया गया है। सूचना पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 धारा 304(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण/अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्री रितेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी कसया श्री कुन्दन कुमार सिंह के नेतृत्व में टीमें गठित कर निर्देश दिये गये थे। आज दिनांक 06.11.2024 को गठित टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेज व अन्य इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर 02 अभियुक्तों को मय एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा छिनैती के मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग
मु0अ0स0 534/2024 धारा 304(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त
1-युसुफ पुत्र फारूख सा0 लक्ष्मीपुर थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
2-साहिल पुत्र इमामुद्दीन सा0 लक्ष्मीपुर थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

अभियुक्त साहिल का अपराधिक इतिहास
मु0अ0स0-87/2023 धारा-147,323,506 भादवि थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

बदामदगी का विवरण
1- छिनैती का एक अदद मोबाइल फोन
2-एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

बरामदगी/ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
1-प्रभारी निरीक्षक धनवीर सिंह थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
2-उ0नि0 विक्रम अजीत राय थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
3-का0 रितेश यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
4-का0 इतेश कुमार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा दुष्कर्म आदि के मुकदमें में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वाछिंत/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक-06.11.2024 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा मु0अ0स0 477/2024 धारा 137(2)/61(2)/127(2)/123/70(2)/3(5)/351(3) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त पवन यादव पुत्र कन्हैया यादव सा0 तिलौली थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0स0 477/2024 धारा 137(2)/61(2)/127(2)/123/70(2)/3(5)/351(3) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-
पवन यादव पुत्र कन्हैया यादव सा0 तिलौली थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-
1. प्रभारी निरीक्षक श्री हर्षवर्धन सिंह थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 अशोक कुमार शर्मा थाना ने0नौ0 कुशीनगर
3. हे0का0 अब्दुल अलीम थाना ने0नौ0 कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-
जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 53नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=
1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-01, ई-चालान-16 वाहन
2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-42, व्यक्ति-122
3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(08)
4- जनपद में कुल गिरफ्तारी–(कुल-60)

सोशल मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर